<u>ओएनजीसी विदेश की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर एंड एस)</u>

1. प्रस्तावना

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अपने हितधारकों के हित को समझते हुए और कंपनी के मिशन और उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संधारणीय रूप से प्रचालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। मेजबाद सरकार (सरकारों) की आवश्यकताओं और उनके नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी विदेश संधारणीय विकास पहलें करता है। भारत की धरती से बाहर की गयी ये सभी पहलें / गतिविधियां, ओएनजीसी विदेश के सर्वोच्च प्रचालन आदर्श - संधारणीय विकास के माध्यम से सभी के लिए मूल्य सृजन करने के लक्ष्य से, लाभ साझीदारी संविदा और संविदात्मक अपेक्षाओं / दिशानिर्देशों / प्रथाओं के अनुसार की जाती हैं।

2. सीएसआर एंड एस के दृष्टि और मिशन वक्तव्य

2.1 दृष्टि :

लोग, लोक और लाभ का ध्यान रखते हुए जिम्मेदार और संधारणीय पहलों को समर्थन देना।

2.2 **मिशन** :

- कर्मचारियों के प्रतिबद्ध सहलग्नता के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन के तिहरे आधार रेखा बेंचमार्कों को लगातार बढ़ाना।
- उन समुदायों के लिए मूल्य सृजित करना जिनके साथ हम काम करते हैं।

- संसाधनों के कुशल उपयोग का संवर्द्धन, हरित ऊर्जा पहलों को प्रोत्साहित करना और अनिवार्य प्रावधानों के परे जाकर कंपनी की दृष्टि को पूरा करने के लिए नवोन्मेषी समाधान विकसित करना।

3. **लक्ष्य** :

क. व्यवस्थित सहलग्नता प्रक्रिया और संप्रेषण रणनीति और मेजबान देशों के उप-नियमों, मानव अधिकारों, श्रम विनियमों एवं पर्यावरण के माध्यम से आंके गए हितधारक की प्रत्याशाओं के आधार पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहलों को विकसित करना और क्रियान्वित करना।

ख. कार्बन उत्सर्जन और जल खपत को धीरे धीरे कम करने, अपशिष्ट के नवोन्मेषी प्रबंधन, विवेकपूर्ण ऊर्जा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी विदेश के सामान्य प्रचालनों में पर्यावरणीय रूप से संधारणीय व्यवसाय प्रथाओं को अंगीकृत करना।

ग. वृहतर सामाजिक प्रभाव वाले और समाज के सीमांत और वंचित वर्गों की समावेशी संवृद्धि पर ध्यान केंद्रन के साथ संधारणीय परियोजनाओं की कल्पना, निष्पादन और प्रबंधन करना।

घ. जहॉ कहीं भी कंपनी प्रचालन करती है, वहॉ के समुदायों को मूल्यवान योगदान करना।

4. **दायरा और व्याप्ति**

4.1 सीएसआर एंड एस के माध्यम से, ओएनजीसी विदेश कारोबार का ध्यान रखते हुए समुदायों के लिए मूल्य सृजन कर, समता, पारदर्शिता, मानव अधिकारों की मर्यादा बनाए रखने एवं श्रम, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार रोधी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने हितधारकों के साथ सहलग्न होने का प्रयास करेगा।

4.2 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओएनजीसी विदेशक के प्रचालनों की पूरी स्पेक्ट्रम भारत से बाहर अवस्थित है, सीएसआर एंड एस नीति का दायरा, हमारे प्रचालनों के स्थानीय क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रम संचालित करने के लिए हमारे संविदात्मक दायित्व / परियोजना आवश्यकताओं और मेजबान देशों के अंतर्राष्ट्रीय आचार विनियमों से विनियमित होगा। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओ को क्रियान्वित करते समय कॉरपोरेट अभिशासन, स्वास्थ्य एवं संरक्षा, परियोजना की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

4.3 इन गतिविधियों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों में निष्पादित किया जाएगा। तदनुसार, मेजबान देशों के दायित्वों / परियोजना आवश्यकताओं के संदर्भ में गतिविधियों का मुख्य फोकस इस प्रकार होगा :

I. सामाजिक विकास कार्यक्रम -

क) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन;

ख) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सवच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्द्धन;

ग) सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाना;

घ) शिक्षा का संवर्द्धन

ङ) लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण का संवर्द्धन;

च) मानव बस्ती को सुरक्षित, सुदृढ और संधारणीय बनाना;

छ) लोगों के कल्याण का संवर्द्धन और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना विशेषकर समाज के असुरक्षित और वंचित वर्ग के लोगों की।

II. पर्यावरण विकास परियोजनाएं -

क) पर्यावरणीय संधारणीयता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना;

ख) उत्सर्जन को विनियमित कर और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव की रोकथाम करने के लिए कार्रवाई करना;

ग) सागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना;

घ) उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए संधारणीय प्रथाओं का अंगीकरण।

III. आर्थिक और अवसंरचना विकास -

क) व्यावसायिक कौशल की वृद्धि का संवर्द्धन, विशेषकर महिलाओं और दिव्यांगजनों में और आजीविका सृजन परियोजनाएं;

ख) संधारणीय विकास के लिए नवाचार का संवर्द्धन;

ग) संधारणीय विकास हेतु सार्वजनिक - निजी भागीदारी का सशक्तीकरण;

घ) ग्रामीण अवसंरचना के सृजन की सुगमता का सुदृढीकरण;

ङ) अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण एवं विकास को सुगम करना जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकते हैं और जीवनयापन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।

IV. संबंधित जेवी करारों के अंतर्गत यथा शामिल अन्य क्षेत्र

क) जेवी के करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार गतिविधियां संचालित करना।

4.4 उचित आवश्यकता आकलन और वांछित परिणाम की स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर परियोजनाओं / कार्यक्रम की पहचान की जाएगी और उनके लिए बजट आवंटन किया जाएगा।

4.5 संधारणीय विकास पहलें, जहाँ तक संभव है, परियोजना / कार्यक्रम के स्वरूप में होंगी, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

क) संधारणीय विकास गतिविधियों का निश्चयन;

ख) चयनित क्षेत्रों और भू-भागों में विशिष्ट उद्देश्यों / लक्ष्यों की पहचान;

ग) समय सीमाओं की पहचान - प्रारंभ तिथि और समापन तिथि का स्पष्ट विनिर्देशन;

घ) वित्तीय आवंटन का विशिष्ट उल्लेख;

ङ) लाभार्थियों की पहचान (जहॉ कहीं भी संभव है);

च) आंतरिक टीम / स्थानीय एजेंसी के माध्यम से संधारणीयता और कल्याण गतिविधियों का क्रियान्वयन।

छ) सुदृढ, आवधिक समीक्षा और निगरानी;

ज) मूल्यांकन और आंकलन,

झ) अनिवार्य रिपोर्टिंग।

4.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना अवधि के अंत में अलग हटने के बाद भी परियोजनाओं / कार्यक्रम प्रासंगिक और व्यवहार्य बनें रहे, जोर परियोजनाओं / कार्यक्रमों की संधारणीयता पर रहेगा।

5. सीएसआर एंड एस समिति

ओएनजीसी विदेश एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता समिति (इसमें इसके पश्चात् ''समिति'' कहा गया है) गठित करेगा, जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, उनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

6. **बजट**

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी का संपूर्ण प्रचालन विदेश में हैं जहॉ ओएनजीसी विदेश विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित करता है, संधारणीय विकास हेतु बजट मेजबान देशों में संचालित परियोजना (ओं) की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

सीएसआर एंड एस गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन, कंपनी के मुख्य बजट के आरई एवं बीई में प्रतिबिंबित करने के पूर्व समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

50,000 अमेरिकी डॉलर तक के अलग अलग प्रस्ताव, प्रत्यायोजित शक्ति बही (बीडीपी), ओएनजीसी विदेश के अनुसार कंपनी की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। 50,000 अमेरिकी डॉलर की उक्त सीमा से अधिक बजट का कोई प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बीडीपी, ओएनजीसी विदेश में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

इसके अलावा, सीएसआर एंड एस की कोई भी राशि किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोग नहीं की जाएगी।

7. आयोजना और क्रियान्वयन

संधारणीय विकास गतिविधियां बजट की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित की जाएंगी और आंतरिक टीम या उसी प्रकार के कार्यक्रम या परियोजनाओं को निष्पादित करने में स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड वाली स्थानीय एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

8. निगरानी एवं मूल्यांकन

समिति विभिन्न संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा करेगी और प्रत्येक छः माह पर कार्य - निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

9. रिपोर्टिंग एवं प्रकटन

कंपनी की सीएसआर रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट में उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

कंपनी की संधारणीय रिपोर्ट ओएनजीसी समूह की वैश्विक संधारणीयता रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

ओएनजीसी विदेश समय समय पर यथा लागू मेजबान देशों के लागू विधिक प्रावधानों का अनुपालन करेगा।